

In the Reserve Bank of India Foreign Exchange Department Ahmedabad-380009

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग अहमदाबाद 380009

में उपस्थित / Present जयन्त कुमार दाश / Jayant Kumar Dash क्षेत्रीय निदेशक (गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली) / मुख्य महाप्रबंधक (अहमदाबाद) Regional Director (Gujarat, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli) / Chief General Manager (Ahmedabad)

> दिनांक: 28 अगस्त 2018 / August 28, 2018 सेफा.सीओ सं: 10392 / सी.ए.अह: 103 / 2017-18 CEFA.CO.ID.10392 / C.A. No. AHM - 103 / 2017-18 प्रकरण / Matter इबरकेम इंडिया लिमिटेड / Iberchem India Ltd. (CIN: U24231GJ1994PLC023516)

38/ए, राधे इंडस्ट्रियल एस्टेट, ताजपुर रोड, चांगोदर - 382213, ताः सानंद, ज़िलाः अहमदाबाद 38/A, Radhe Industrial Estate, Tajpur Road, Changodar — 382213 Ta: Sanand, Dist: Ahmedabad - 380009

ग्जरात / Gujarat

(आवेदक) / (Applicant)



विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 15(1) तथा इसके अंतर्गत बनाए गये विनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं यह आदेश पारित करता हूँ :

In exercise of the powers conferred under Section 15(1) of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Regulations/Rules/Notifications/Orders made there under, I pass the following order:

आदेश / Order

आवेदक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी विनियमों के उल्लंघनों को कंपाउंडिंग करने हेतु दिनांक 24 मई 2018 (भारतीय रिज़र्व बैंक में दिनांक 30 मई 2018 को प्राप्त) को कंपाउंडिंग आवेदन दिया गया था। निम्निलखित फेमा उल्लंघनों की कंपाउंडिंग की जानी है: (i) इक्विटी में अंशदान के लिए विदेशी मुद्रा आवक राशि की सूचना देने में निर्धारित 30 दिन से अधिक विलंब (ii) भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को शेयर जारी करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित 30 दिनों से अधिक विलंब से फार्म एफ़सी-जीपीआर प्रस्तुत करना तथा (iii) प्रेषण की प्राप्ति की तिथि से निर्धारित 180 दिनों की अविध के बाद शेयरों को जारी करना /शेयर आवेदन राशि को लौटना; यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1 के क्रमशः पैरा 9(1)(ए), 9(1)(बी) तथा 8 [इसके बाद विनियमावली फेमा 20/2000-आरबी के रूप में संबोधित] के अनुसार।

The applicant has filed compounding application dated May 24, 2018 (received at Reserve Bank of India on May 30, 2018) for compounding of contraventions of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (the FEMA) and the regulations issued there under. The contraventions sought to be compounded are (i) delay beyond 30 days in reporting receipt of foreign inward remittance towards subscription to equity and (ii) delay beyond 30 days in submission of Form FC-GPR to the Reserve Bank after issue of shares to a person resident outside India; and (iii)



delay in allotment of shares / refund of share application money beyond stipulated period of 180 days; in terms of paragraphs 9(1)(A), 9(1)(B) and 8 respectively, of Schedule 1 to Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 notified, vide Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000 and as amended from time to time (hereinafter referred to as Notification No. FEMA 20/2000-RB).

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन दिनांक 7 नवम्बर 1994 को निगमित हुई (CIN: U24231GJ1994PLC023516)। यह कंपनी पर्ण्यूम एवं इत्र (कोलोन) डी ओडेरेंट के उत्पादन में कार्यरत है जिसका एनआईसी कोड 20234 है। आवेदक कंपनी को विदेशी निवेशक इबरकेम एस. ए. स्पेन से स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत ₹19,55,36,420/- की कुल बारह आवक राशियां प्राप्त हुई। कंपनी ने ₹19,42,85,300/- राशि के शेयर जारी किए। ₹12,50,000/- की शेयर आवेदन के रूप में प्राप्त अतिरिक्त राशि को भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमित से लौटा दिया गया तथा शेष राशि ₹1120/- को नज़रअंदाज़ किया गया।

The relevant facts of the case are as follows:

The applicant company was incorporated on November 7, 1994 under the provisions of the Companies Act, 1956 (CIN: U24231GJ1994PLC023516). The company is engaged in manufacturing of perfumes and cologne de-eau, bearing NIC Code: 20234. The applicant company has received total twelve inflows amounting to ₹19,55,36,420/- from foreign investor Iberchem S.A., Spain under automatic route. Company has issued the shares for amount of ₹19,42,85,300/- whereas, an excess amount of ₹12,50,000/- was refunded with Reserve Bank's permission after 180 days and remaining excess amount of ₹1120/- was ignored.

3. दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए):

Para 9(1) (A) - Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:



(तालिका A) (Table -A)

| क्र. सं. | विदेशी आवक | प्राप्ति की | आरबीआई को | 30 दिन से अधिक का |
|----------|---|-------------|--------------------------------------|--|
| Sr. No. | विप्रेषण की राशि / | तिथि / Date | रिपोर्ट करने की | विलंब (दिनों में) / Days |
| | Amount of foreign inward remittance (₹) | of receipt | तिथि* / Date of reporting to RBI* | delay excluding prescribed time of 30 days |
| 1 | 7510000 | 08-04-2011 | 29-04-2011 | No Delay |
| 2 | 5000000 | 06-07-2011 | 21-07-2011 | No Delay |
| 3 | 2060100 | 30-04-2012 | 28-05-2012 | No Delay |
| 4 | 1195200 | 04-10-2012 | 19-10-2012 | No Delay |
| 5 | 19700212 | 28-03-2016 | 15-04-2016 | No Delay |
| 6 | 19613215 | 03-05-2016 | 12-05-2016 | No Delay |
| 7 | 26379209 | 15-07-2016 | 25-07-2016 | No Delay |
| 8 | 56090444 | 09-09-2016 | 30-09-2016 | No Delay |
| 9 | 19725000 | 07-03-2017 | 06-04-2017 | No Delay |
| 10 | 16029038 | 21-06-2017 | 21-07-2017 | No Delay |
| Total A | 173302418 | | | |
| 11 | 1691057 | 26-03-2012 | 16-05-2012 | 21 days |
| Total B | 1691057 | | | |

^{*9(1) (}ए) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।

दिनांक 7 नवम्बर 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R) /2017 - आरबी के विनियमन 13.1(1):

Regulation 13.1(1) of Notification No. FEMA 20(R) /2017-RB dated November 7, 2017:

(तालिका B) (Table -B)

| क्र. सं. Sr. No. | विदेशी आवक विप्रेषण की राशि / Amount of foreign inward remittance (₹) | तिथि / Date | आरबीआई को रिपोर्ट करने की तिथि* / Date of reporting to RBI* | 30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) / Days delay excluding prescribed time of 30 days |
|---------------------|--|-------------|---|---|
| 12 | 20542945 | 28-12-2017 | 06-01-2018 | No Delay |
| Total C | 20542945 | | | |
| G. Total (A+B+C) | 195536420 | | | |

^{*13.1(1)} के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।

^{*} The date for calculation of delay under 9(1) (A) taken as date of inflow reporting by Company to AD.

^{*} The date for calculation of delay under 13.1 (1) taken as date of inflow reporting by Company to AD.



4. उपर्युक्त तालिका A एवं B से स्पष्ट है कि आवेदक ने ₹19,55,36,420/- की कुल बारह आवक विप्रेषण राशि प्राप्ति की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय को दी। उक्त बारह में से ₹16,91,057/- की एक आवक राशि की सूचना लगभग 21 दिनों (के निर्धारित अविध 30 दिन) विलंब से सूचित किया गया। जबिक अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (ए) के अनुसार, शेयर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सूचना निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार आवक राशि की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर देनी होती है। इस प्रकार कंपनी ने 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

As indicated in the Table A & B above, the applicant reported the receipt of twelve inward remittances, amounting to ₹19,55,36,420/- to the Ahmedabad Regional Office of the Reserve Bank of India. Out of twelve inflows, one inflow amounting to ₹16,91,057/- was reported with a delay of approx. 21 days beyond the prescribed period of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9 (1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares in accordance with these Regulations should report to the Reserve Bank of India, as per the prescribed procedure, not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration. Thus the company stands to contravene the provisions stipulated in paragraph 9(1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000.



5. आवेदक ने इक्विटी शेयर आवंटित किए तथा निम्नानुसार एफसीजीपीआर फ़ाइल की: The applicant allotted equity shares and filed FC-GPRs as stated below:

3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी): Para 9(1) (B) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:

(तालिका C) (Table -C)

| क्र. सं. | जारी किए | शेयर की | शेयर जारी | आरबीआई को | 30 दिन से अधिक |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|
| | शेयर की | राशि | करने की तिथि | एफ़सीजीपीआर | का विलंब (दिनों में) |
| Sr. No. | संख्या No of shares issued | Amount of shares (₹) | Date of issue of shares | प्रस्तुत करने की तिथि * Date of submission of FC- GPR to RBI * | Days delay excluding prescribed time of 30 days |
| 1 | 751000 | 7510000 | 02-09-2011 | 23-09-2011 | No delay |
| 2 | 375000 | 3750000 | 05-01-2012 | 04-02-2012 | No delay |
| 3 | 119520 | 1195200 | 03-12-2012 | 02-01-2013 | No delay |
| 4 | 1970000 | 19700000 | 05-04-2016 | 30-04-2016 | No delay |
| 5 | 1961342 | 19613420 | 09-05-2016 | 01-06-2016 | No delay |
| 6 | 2637920 | 26379200 | 18-07-2016 | 26-07-2016 | No delay |
| Total A | 7814782 | 78147820 | | | |
| 7 | 169000 | 1690000 | 19-04-2012 | 11-06-2012 | 23 days |
| 8 | 206010 | 2060100 | 07-07-2012 | 09-08-2012 | 3 days |
| 9 | 5609044 | 56090440 | 13-09-2016 | 12-12-2016 | 60 days |
| 10 | 1972500 | 19725000 | 01-05-2017 | 11-10-2017 | 133 days |
| 11 | 1602900 | 16029000 | 05-07-2017 | 28-12-2017 | 146 days |
| Total B | 9559454 | 95594540 | 2 41 2 2 3 6 | | _ |

^{* 9(1) (}बी) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।

^{*} For calculation of days of delay under 9(1) (B) date of reporting to AD bank is taken as reporting to RBI.



दिनांक 7 नवम्बर 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R) /2017-आरबी के विनियमन 13.1(2):

Regulation 13.1(2) of Notification No. FEMA 20(R) /2017-RB dated November 7, 2017:

(तालिका D) (Table -D)

| क्र. सं. Sr. No. | जारी किए शेयर की संख्या No of shares issued | शेयर की राशि Amount of shares (₹) | शेयर जारी करने की तिथि Date of issue of shares | आरबीआई को एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि * Date of submission of FC-GPR to RBI * | 30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) Days delay excluding prescribed time of 30 days |
|---------------------|--|--|--|---|---|
| 12 | 2054294 | 20542940 | 10-01-2018 | 02-02-2018 | No delay |
| Total C | 2054294 | 20542940 | | | |
| G. Total (A+B+C) | 19428530 | 194285300 | | | |

^{*13.1(2)} के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।

6. उपर्युक्त तालिका C एवं D से स्पष्ट है कि आवेदक ने ₹19,42,85,300/- की राशि के बारह फार्म एफ़सी-जीपीआर फ़ाइल किये है। उक्त बारह फार्म एफ़सी-जीपीआर में से ₹9,55,94,540/- की राशि के पाँच फार्म एफ़सी-जीपीआर लगभग 3 से 146 दिनों के (निर्धारित अविध 30 दिन) विलंब से फ़ाइल किए गए। जबिक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा/ 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार शेयर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को एफ़सीजीपीआर प्रारूप में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट विदेशी निवेशक को शेयर आवंटन करने के 30 दिनों के अंदर किया जाना होता है। इस प्रकार कंपनी ने 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

As indicated in the Table C & D above, the applicant has filed twelve form FC-GPRs amounting to ₹19,42,85,300/-. Out of twelve FC-GPRs forms, five form FC-GPRs amounting to ₹9,55,94,540/- were filed with a delay ranging from 3 to 146 days approx. beyond the prescribed period of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9(1)

^{*} The date for calculation of delay under13.1 (2) taken as date of inflow reporting by Company to AD.




(B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares in accordance with these Regulations has to submit to the Reserve Bank of India, a report in form FC-GPR, along with documents prescribed therein, within 30 days from the date of issue of shares to the overseas investor. Thus the company stands to contravene the provisions stipulated in Paragraph 9 (1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000.

7. फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 के पैरा 8 का उल्लंघन: Contravention under Para 8 – of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:

(Table -E)

| | | | | (i abie -i |
|------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| क्र. | प्राप्ति की | शेयर/रिफ़ंड की | शेयर /रिफ़ंड जारी करने | 180 दिन से अधिक का |
| सं. | तिथि / Date | राशि | की तिथि | विलंब (दिनों में) Days |
| Sr. No. | of receipt | Amount of shares/ Refund (₹) | Date of issue of Shares / Refund | delay excluding prescribed time of 180 days |
| 1 | 06-07-2011 | 3750000 | 05-01-2012 | 3 days |
| 2 | 06-07-2011 | 1250000 | 25-09-2012 | 267 days |
| | | 5000000 | | |


8. दिनांक 3 मई, 2000 आरबी की अधिस्चना फेमा 20/2000 की अनुस्ची 1 के पैरा 8 के अनुसार यह पाया गया है की ₹37,50,000/- के शेयर 180 दिन की निर्धारित सीमा के बाद लगभग 3 दिनों के विलंब से, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमित प्राप्त किये बिना आवंटित किए हैं तथा कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमिती से ₹12,50,000/- की अतिरिक्त शेयर आवंदन राशि 180 दिन की निर्धारित सीमा के बाद लगभग 267 दिनों के विलंब से लौटाई। जबिक विनियमावली 20 के शैड्यूल 1 के पैरा 8 के प्रावधानों के अनुसार यदि शेयर 180 दिनों के अंदर आबंटित नहीं किए जा सके तो प्राप्त राशि को निवेशक को वापिस किया जाना होता है बशर्त भारतीय रिजर्व बैंक पर्याप्त कारणों के होने पर, इस संबंध में आवंदन प्राप्त होने पर, 180 दिनों के बाद भी राशि वापिस करने की अनुमित देता है। विनियमावली 20 के पैरा 8 के प्रावधानों में विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली 2007, को जारी करके संशोधन किया गया और भारत सरकार के आधिकारिक गज़ट में दिनांक 13 नवम्बर 2007 की अधिसूचना संख्या फेमा 170/2007-आरबी द्वारा अधिसूचित किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 14





दिसम्बर 2007 के एपी(डीआईआर) परिपत्र सं. 20 के पैरा 5 के अनुसार उन सभी मामलों में जहां दिनांक 28 नवंबर 2007 की स्थित के अनुसार निधियां प्राप्त होने की तिथि से 180 दिन बीत चुके हैं तथा शेयर जारी नहीं किए गए हैं वहां कंपनी द्वारा अपने एडी श्रेणी-1 बैंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को, विस्तृत ब्यौरा सहित, निश्चित समय सीमा के अंदर शेयर आबंटन/ धन वापस करने की योजना के साथ विशिष्ट अनुमोदन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है। इस प्रकार कंपनी ने दिनांक 3 मई, 2000 आरबी की अधिसूचना फेमा 20/2000 की अनुसूची 1 के पैरा 8 में निर्धारित किये प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

It is observed that shares amounting to ₹37,50,000/- were allotted with the delay of approx. 3 days beyond stipulated period of 180 days without obtaining prior approval from Reserve Bank of India and refunded the excess share application money of ₹12,50,000/- with the approval of the Reserve Bank of India with the delay of approx. 267 days as stipulated in Paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000. Whereas, in terms of Para 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, if the shares are not issued within 180 days from the date of receipt of the inward remittance, the amount of consideration so received shall be refunded to the person concerned, provided the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons permit to refund the amount of consideration received towards issue of security, if such amount is outstanding beyond a period of 180 days from the date of receipt. The amendment in paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB was introduced by issue of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2007 notified vide, Notification No. FEMA 170/2007-RB dated November 13, 2007 in the official Gazette of the Government of India. Further in terms of paragraph 5 of AP(Dir series) Circular No.20 dated December 14, 2007, in all cases where, as on November 28, 2007, 180 days have elapsed since receipt of funds and the equity instruments have not been issued, the companies are required to approach the Foreign Exchange Department of the Regional Office concerned of the Reserve Bank through their AD Category-1 bank






with a definite action plan whether for allotment of equity instruments or for refund of the advance, with full details, for specific approval. Thus, the company stands to contravene the provisions stipulated in Paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000.

9. आवेदक को दिनांक 23 अगस्त 2018 के हमारे पत्र संख्या एफ़ई.अह. 241/06.04.15(A)CEFA 2018-19 द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं उपस्थित होकर तथा/ अथवा दस्तावेज यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 28 अगस्त 2018 को आवेदक के प्रतिनिधि श्री धवल सोनी, वरिष्ठ प्रबन्धक (लेखा एवं वित्त) उपस्थित रहे। आवेदक के प्रतिनिधि ने माना कि उनसे उपर्युक्त स्पष्ट किए गए उल्लंघन हुए हैं जिनके लिए माफी मांगी गई और कहा कि अननुपालन जानबूझकर नहीं किया गया है और कंपनी की ओर से अनजाने में त्रृटि हुई थी और कंपनी उसके लिए खेद प्रदर्शित करती है तथा उदार दृष्टिकोण रखने के लिया प्रार्थना करती है। वे अपने आवेदन के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के किसी भी निर्देश/ आदेश को स्वीकार करने को तैयार हैं।

The applicant was given an opportunity for personal hearing vide our letter FE.AH.No.241/06.04.15 (A) CEFA /2018-19 dated August 23, 2018 for further submission in person and /or producing documents, if any, in support of the application. Shri Dhaval Soni, Senior Manager (Accounts & Finance) represented the applicant for the personal hearing on August 28, 2018. They admitted to the contraventions for which compounding has been sought and stated that the non-compliance was not intentional and was an inadvertent error on the part of the Company and they deeply regret the delay caused and requested to take lenient view. They also stated that they are willing to accept any direction/ order of the Compounding authority in connection with their compounding application.






10. आवेदक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना की कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन के निपटान में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। अतः कंपाउंडिंग के लिए किए गए आवेदन पर आवेदक द्वारा किए गए प्राक्कथनों तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरणों के आधार पर विचार किया गया है।

The representative of the applicant requested that in view of the foregoing, a lenient view may be taken in disposal of the application. The application for compounding is, therefore, being considered on the basis of the averments made in the application as well as other documents and submissions made in this context by the applicant during personal hearing and thereafter.

11. दिनांक 24 मई 2018 के कंपाउंडिंग आवेदन में आवेदक द्वारा यह घोषित किया गया है कि आवेदन में दिया गया विवरण उनकी श्रेष्ठ समझ एवं मान्यता के अनुसार सत्य एवं सही है। दिनांक 20 अगस्त 2018 के कंपाउंडिंग आवेदन (एड्डनडम) के साथ दी गई अंडरटेकिंग में आवेदक ने यह घोषित किया है कि आवेदन की तिथि को किसी भी एजेंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी जांच/जांच-पइताल/अधिनिर्णयन नहीं किया जा रहा था तथा इस संबंध में आवेदक ने तत्पश्चात किसी भी एजेंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी जांच/जांच-पइताल/अधिनिर्णयन प्रारम्भ होने की सूचना नहीं दी है। आगे यह भी घोषित किया गया है कि आवेदक ने फेमा, 1999 की धारा 17 अथवा 19 के तहत कोई भी अपील नहीं की है। तदनुसार, उक्त उल्लंघन जो कि इस आदेश में कम्पाउण्ड किए जा रहें हैं वे आवेदक द्वारा दी गई उक्त घोषणा की सच्चाई के अधीन है तथा यह आदेश वर्तमान क़ानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है और अगर तत्पश्चात उक्त घोषणा झूठी एवं गलत होने का पता चलता है तो प्राधिकरण द्वारा वर्तमान कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

It has been declared in the compounding application dated May 24, 2018 that the particulars given by the applicant in the application are true and correct to the best of their knowledge and belief. It has been declared in the undertaking furnished with the compounding application (addendum) dated August 20, 2018 that the applicant was not under any enquiry / investigation / adjudication by any agency as on the date of





the application and has, in this regard, not informed of initiation of any such enquiry /investigation / adjudication proceedings against it/him/her thereafter. It has further been declared that the applicant has not filed any appeal under section 17 or section 19 of FEMA, 1999. Accordingly, the above contraventions which are being compounded in this Order are subject to the veracity of the above declarations made by the applicant and this order is without prejudice to any other action which may be taken by any authority under the extant laws if the said declarations are subsequently discovered to be false and/or incorrect.

12. मैंने रेकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। मेरे अनुसार आवेदक ने निम्नलिखित फेमा प्रावधानों का निम्नानुसार उल्लंघन किया है:

I have given my careful consideration to the documents on record and submission made by the applicant. Accordingly, I hold that the applicant has contravened the following FEMA provisions issued in terms of:

ए) विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (ए) का उल्लंघन : इस आदेश के पैरा 4 में उल्लिखितानुसार शेयर जारी करने हेतु विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्ति की रिपोर्टिंग में विलंब। इस संबंध में उल्लंघन राशि ₹16,91,057/- है तथा विलंब की अविध लगभग 21 दिनों की है।

Paragraph 9 (1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000: Due to delay in reporting of receipt of foreign inward remittances towards subscription of shares as detailed in paragraph 4 above. The amount of contravention involved is ₹16,91,057/- and the delay is for approximately 21 days.

बी) 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (बी) का उल्लंघन : उक्त के पैरा 6 में दिये विस्तृत ब्योरे के अनुसार भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को शेयर जारी करने के बाद फार्म एफ़सी-जीपीआर प्रस्तुत करने में विलंब। इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि ₹9,55,94,540/- है तथा विलंब की अविध लगभग 03 से 146 दिनों की है।




Paragraph 9 (1) (B) of Schedule 1 of FEMA Notification FEMA 20/2000 – RB dated May 3, 2000: Due to delay in submission of form FC-GPR, after issue of shares to persons resident outside India as detailed in paragraph 6 above. The amount of contravention involved is ₹9,55,94,540/- and the delay is for approximately 3 to 146 days.

सी) 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 8 का उल्लंघन: उपरोक्त पैराग्राफ 8 में दी गई प्राप्ति की तिथियों से 180 दिनों की निर्धारित समय सीमा के बाद शेयर का आबंटन किए जाने / शेयर आवदन राशि लौटने के कारण उल्लंघन । इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि क्रमशः ₹37,50,000/- एवं ₹12,50,000/- है तथा विलंब की अविध क्रमशः लगभग 3 एवं 267 दिनों की है।

Paragraph 8 of Schedule I of FEMA NotificationFEMA20/2000- RB dated May 3, 2000: Due to delay in allotment of shares/refund of share application money beyond stipulated period of 180 days from date of receipt detailed in Paragraph 8 above. The amount involved is ₹37,50,000/- and ₹12,50,000/- respectively and the delay is approx. for 3 and 267 days respectively.

13. फेमा की धारा 13 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के बाद वह उल्लंघन राशि के तीन गुना तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु ऊपर के पैरा में उल्लिखित मामले की परिस्थितियों तथा संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर मैं उल्लंघनों को कम्पाउंड करने की राशि के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य हूँ तथा मानता हूँ कि दंड की राशि ₹1,35,788/- (एक लाख पंतीस हज़ार सात सौ अठयासी रुपए मात्र) न्याय की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

In terms of Section 13 of the FEMA, any person contravening any provision of the Act shall be liable to a penalty up to thrice the sum involved in such contravention upon adjudication. However, taking into account the relevant facts and circumstances of the case as stated in the foregoing paragraphs, I am persuaded to take a lenient view on





the amount for which the contraventions are to be compounded and therefore, I consider that amount of penalty of ₹1,35,788/- (Rupees One lakh thirty five thousand seven hundred eighty eight only) will meet the ends of justice.

14. तदनुसार, फेमा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम 2000 के अंतर्गत ₹1,35,788/- (एक लाख पेंतीस हज़ार सात सौ अठयासी रुपए मात्र) की राशि के भुगतान पर मैं उपर्युक्त चर्चित तथ्यों पर आवेदक द्वारा माने गए उल्लंघनों, यथा 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए), 9(1)(बी) तथा 8 के उल्लंघन, को कम्पाउण्ड करता हूँ । इस आदेश के 15 दिन के भीतर आवेदक को "भारतीय रिज़र्व बैंक" के पक्ष में दंडात्मक राशि ₹1,35,788/- (एक लाख पेंतीस हज़ार सात सौ अठयासी रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380009 के पास जमा करना होगा। निर्धारित अविध के भीतर दंडात्मक राशि को जमा नहीं करने पर विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) दिनांक 3 मई 2000 के नियम 10 लागू होंगे।

Accordingly, I compound the admitted contraventions, namely contravention of paragraph 9(1) (A), 9(1) (B) and 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 03, 2000, by the applicant, on the facts discussed above in terms of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 on payment of an amount of ₹1,35,788/- (Rupees One lakh thirty five thousand seven hundred eighty eight only) which shall be deposited by the applicant with the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, La-Gajjar Chambers, Ashram Road, Ahmedabad − 380 009 by a demand draft drawn in favour of the "Reserve Bank of India" and payable at Ahmedabad within a period of 15 days from the date of this order. In case of failure to deposit the compounded amount within the above mentioned period, Rule 10 of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 dated May 3, 2000 shall apply.

आवेदन तदनुसार निपटाया गया। The application is disposed of accordingly.



दिनांक: 28 अगस्त 2018 को जारी Dated the 28th day of August, 2018.

Sd/-

(जयन्त कुमार दाश / Jayant Kumar Dash) क्षेत्रीय निदेशक (गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली) / मुख्य महाप्रबंधक (अहमदाबाद) Regional Director (Gujarat, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli) / Chief General Manager (Ahmedabad)